

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 22, बुधवार, शाके 1947- अगस्त 13, 2025 <i>Sravana 22, Wednesday, Saka 1947- August 13, 2025</i>	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जुलाई 21, 2025

संख्या:07/भू.अ./ज.स./2021/1168-1172:-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बीसलपुर परियोजना की बांयी मुख्य नहर की आर.डी. 4.50 किमी. से 9.50 किमी. एवं चैनपुरा माईनर व चैनपुरा सबमाईनर नम्बर 01 के क्षेत्र में आये ग्राम भैरूपुरा बोटून्दा की शेष रही (खसरा नम्बर 1317 की 0.17 हैक्ट.) भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है। यह घोषणा की जाती है कि संलग्न सूची में वर्णित भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

यह घोषणा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के प्रावधानुसार उन सब हितकारियों के निमित्त जिनका इससे संबंध हो, जारी की जाती है तथा अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना देवली को कथित भूमि की अवाप्ति के निमित्त कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना देवली तथा अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, तृतीय बीसलपुर परियोजना देवली के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरण

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड-तृतीय बीसलपुर परियोजना देवली।

केन्द्रीय भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार नियम-2016 के तहत भूमि अवाप्ति की धारा-19 के प्रस्ताव।

बीसलपुर परियोजना की बायीं मुख्य नहर की आर. डी. 4.50 किमी से 9.50 किमी एवं चैनपुरा माईनर व चैनपुरा सबमाईनर नं. 1 के क्षेत्र में नहर निर्माण से प्रभावित होने वाले भूमि के व्यक्तियों/कृषकों/ भूमि धारको की सूची।

ग्राम: भैरूपुरा बोटून्दा तहसील- टोडारायसिंह जिला टोंक

क्र. स.	खातेदार का नाम	किस्म भूमि	खसरा नम्बर	भूमि की कुल क्षेत्रफल	अवाप्ति हेतु भूमि क्षेत्रफल	भूमि अवाप्ति अधिकारी
---------	----------------	------------	------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------

				हैक्टर में	हैक्टर में	
1	जगदीश पुत्र बिरधा मीणा निवासी रामपुरा की झौपड़िया जिला टोंक	माल-I माल-I माल-I	1317	0.29	0.02 0.03 0.12	श्रीमान अतिरिक्त कलक्टर पुनर्वास एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना, देवली
		योग			0.17	

केन्द्रीय भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार नियम-2016 के तहत भूमि अवाप्ति की धारा-19 के प्रस्ताव।

इकजाई गोश्वारा

बीसलपुर परियोजना की बायीं मुख्य नहर की आर. डी. 4.50 किमी से 9.50 किमी एवं चैनपुरा माईनर व चैनपुरा सबमाईनर नं. 1 अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के लिये प्रस्तावित भूमि के निर्माण कार्य में आई भूमि का प्रस्तावित इकजाई गोश्वारा।

क्र.स.	गांव का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील	कुल खसरा नं-	कुल भूमि	अवाप्ति की जाने वाली भूमि (हैक्टर)		
						निजी भूमि	सरकारी भूमि	कुल भूमि
1	भैरुपुरा	बोटून्दा	टोडारायसिंह (टोंक)	01	0.17	0.17	0.00	0.17
कुल भूमि						0.17	0.00	0.17

मुकेश कुमार गुप्ता,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.,
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।